न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत सोमनाथ, आई.ए.एस.

सुकदमा नम्बर 01/2022 राजस्व वाद

दायर दिनांक 5.1.2022

1– श्री नितेश कुमार पुत्र स्व. श्री नन्दलाल सुथार आयु वयस्क निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम

–– वादी

1– श्री गोपी पुत्र स्व. श्री सोराम खाती(सुथार) आयु वयस्क निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

3– उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय कारोईकलां, भीलवाडा।

–– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188–92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

अधिवक्ता वादी श्री उदय सिंह दरोगा

अधिवक्ता प्रतिवादी कैलाश कुमावत

:: निर्णय ::

दिनांक 26.03.2024

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के परिवार का पारीवारिक सजरा अनुसार सोराम खाती के 3 पुत्र गोपी, माधु, नन्दलाल व पत्नी प्यारी है, पुत्र माधु लाऔलाद फोत हुआ है व नन्दलाल का भी देहान्त हो चुका है, जिसके एकमात्र वारीस वादी नितेश कुमार है व प्यारी पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। वादी जो कि नन्दलाल जी का पुत्र होकर व सोराम का पोत्र होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी होकर वाके ग्राम कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 214 में आराजी नम्बर 3306 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3307 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3308 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3333 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3349 रकबा 0.5437 हैक्टेयर आराजी नम्बर 3350 रकबा 0.0759 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.5933 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो कि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 व प्यारी पत्नि सोराम खाती व माधु पुत्र सोराम खाती के नाम दर्ज है, प्यारी का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 है। वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी कृषि आराजियात होकर जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता सोराम पुत्र किशोर खाती के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी वाद में पेश है। वादी के दादा सोराम जी के 3 पुत्र गोपी, माधु, नन्दलाल हुए थे व गोपी का परिवार राशन कार्ड ग्राम पंचायत कारोई द्वारा जारी किया गया जिसमें भी गोपी के परिवार राशन कार्ड में नन्दराम यानि वादी के पिता भाई का नाम व वादी नितेश कुमार का नाम बतौर भतीजा दर्ज है।

Ahad

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी के पिता नन्दलाल पुत्र सोराम जो कि भीलवाडा में निवास करने से उनके राशन र्ड में माता प्यारी देवी का नाम दर्ज रेकार्ड है, जिसकी प्रतिया वाद में पेश है। वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजियात पर सोराम जी के देहान्त उपरान्त नो भाई गोपी, माधु व नन्दलाल व माता काबिज हुए व माधु लाऔलाद फोत हो जाने व दी की दादी प्यारी का भी निधन हो गया व वादी के पिता नन्दलाल सुथार का भी निधन गया है। तीनो की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजियात में वादी का 1/2 हक हिस्सा पर व तिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। आज भी वादी का 1/2 हक हिस्से पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। दिनांक 10 दिसम्बर 2021 को प्रतिवादी संख्या 01 जो कि कुछ अजनबी व्यक्तियों को लेकर मौके पर आया व वादी को जबरन भूमि से बेदखल करने की कोशिश की व सम्पूर्ण भूमि को बेचने की बाते करने लग गया, इस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को कहा कि उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी होकर वादी का हक अधिकार है, इस पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कहा कि उक्त भूमि में वादी का नाम नही है, इस कारण से बेदखल करके रहूंगा व भूमि को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करके रहूंगा जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। इस पर वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो वादी को जानकारी में आया कि वादी के दादा सोराम जी के देहान्त उपरान्त नामान्तकरण संख्या 1310 दिनांक 11 जून 1993 को खोला गया, उस समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा लापरवाही पूर्वक प्रतिवादी संख्या 01 से मिलीभगती कर वादी के पिता नन्दलाल जो कि सोराम के पुत्र होकर प्रथम श्रेधी के वारिस व उत्तराधिकारी होते हुए भी उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता नन्दलाल जी का नाम दर्ज नही किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 गोपी व माधु पुत्र सोराम, प्यारी पत्नी सोराम के नाम दर्ज कर दी, जबकि वादी के पिता नन्दलाल जो कि सोराम के प्रथम श्रेणी के वारिस होकर उक्त आराजियात में इनका प्रतिवादी संख्या 01 के समान हक अधिकार था, वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक अधिकार निहित है, वादग्रस्त आराजियात में खातेदार प्यारी पत्नी सोराम, माधु पुत्र सोराम का देहान्त हो जाने व वादी के पिता नन्दलाल का भी देहान्त हो जाने से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 विधिक वारिस होने से उक्त आराजियात में वादी अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है, तदनुसार घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 सादिर फरमायी जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नोटिस जारी किये गये।
वकील वादी उपस्थित वकील प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01
द्वारा दिनांक 28.02.2024 राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि
पक्षकारान की पुश्तैनी कृषि आराजी ग्राम कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां में स्थित है जिसके
आराजी नम्बर 3306, 3307, 3308, 3333, 3349, 3350 है उक्त आराजी में वादी के पिता का
नाम दर्ज रेकार्ड नही था केवल मात्र वादी के बडे पिता प्रतिवादी संख्या 01 गोपी व माधु व
दादी का ही नाम दर्ज रेकार्ड था जो क्रमशः 1/3 हक हिस्सा दर्ज था। उक्त वादपत्र पेश
होने के बाद मृतका प्यारी देवी के 1/3 हिस्से में विरासत से नामान्तरण दर्ज हुआ जिसमें से
1/6 हक हिस्सा वादी के नाम पर एवं 1/6 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज
हुआ है तथा राजस्व खाते में 1/3 हक हिस्सा स्व. माधु खाती के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैमाधु
खाती लाऔलाद फौत हुआ है उसके कोई भी प्रथम श्रेणी का वारिस जीवित नही है इसलिए
उसके हिस्से की भूमि विरासत से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 में निहित होनी है। वादी के
दादा सोराम खाती के तीन पुत्र थे जो कि प्रतिवादी संख्या 01 गोपी, माधु, नन्दलाल खाती है
एवं सोराम की पत्नी प्यारी देवी जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है तथा माधु खाती की भी मृत्यु हो
चुकी है इस प्रकार मृतक सोराम खाती के केवल मात्र दो ही वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या
01 ही शेष रहे है इसलिए उक्त वर्णित आराजी में दोनो आधा-आधा हक हिस्सा रहा है तथा

भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर पहले से 1/3 हक हिस्सा दर्ज था एवं 1/6 हक हिस्सा प्यारी देवी से विरासत में प्राप्त हुआ है जबकि वादी के नाम पर केवल 1/6 हक हिस्सा ही दर्ज हुआ है इसलिए स्व. माधु खाती के 1/3 हक हिस्से करे वादी के नाम पर दर्ज कर दिया जाता है तो उक्त राजस्व खाते में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर बराबर बराबर हक हिस्सा दर्ज हो जायेगा। जिसमें दोनो पक्षकार सहमत है तथा उक्त सहमति के आधार पर उक्तानुसार राजीनामा से डिक्री पर्चा तैयार करने का आदेश पारित फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की राजीनामा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी ने राजीनामा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां में स्थित खातेदारी आराजियात आराजी नम्बर 3306, 3307, 3308, 3333, 3349, 3350 किता 06 कुल रकबा 1.5933 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम दर्ज रेकार्ड नही था केवल मात्र वादी के बडे पिता प्रतिवादी संख्या 01 गोपी व माधु व दादी का ही नाम दर्ज रेकार्ड था जो क्रमशः 1/3 हक हिस्सा दर्ज था। उक्त वादपत्र पेश होने के बाद मृतका प्यारी देवी के 1/3 हिस्से में विरासत से नामान्तरण दर्ज हुआ जिसमें से 1/6 हक हिस्सा वादी के नाम पर एवं 1/6 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हुआ है तथा राजस्व खाते में 1/3 हक हिस्सा स्व. माधु खाती के नाम पर दर्ज रेकार्ड है माधु खाती लाऔलाद फौत हुआ है उसके कोई भी प्रथम श्रेणी का वारिस जीवित नही है इसलिए उसके हिस्से की भूमि विरासत से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 में निहित होनी है। वादी के दादा सोराम खाती के तीन पुत्र थे जो कि प्रतिवादी संख्या 01 गोपी, माधु, नन्दलाल खाती है एवं सोराम की पत्नी प्यारी देवी जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है तथा माधु खाती की भी मृत्यु हो चुकी है इस प्रकार मृतक सोराम खाती के केवल मात्र दो ही वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ही शेष रहे है इसलिए उक्त वर्णित आराजी में दोनो का आधा–आधा हक हिस्सा रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर पहले से 1/3 हक हिस्सा दर्ज था एवं 1/6 हक हिस्सा प्यारी देवी से विरासत में प्राप्त हुआ है जबकि वादी के नाम पर केवल 1/6 हक हिस्सा ही दर्ज हुआ है इसलिए स्व. माधु खाती के 1/3 हक हिस्से को वादी के नाम पर दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की है।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा दिनांक 28.2.2024 प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र के अनुसार स्व. माधु खाती के 1/3 हक हिस्से की भूमि का वादी को ,खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जाये तो प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपत्ति नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की राजीनामा प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन् किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भली भांति परीक्षण किया। ग्राम कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां में स्थित खातेदारी आराजियात आराजी नम्बर 3306, 3307, 3308, 3333, 3349, 3350 किता 06 कुल रकबा 1.5933 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में गोपी पुत्र सोराम हिस्सा 1/3 जाति खाती सा. देह खातेदार, प्यारी पत्नि स्व. सोराम हिस्सा 1/3 जाति खाती सा. देह खातेदार, माधु पुत्र सोराम हिस्सा 1/3 जाति खाती सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। खातेदार प्यारी पत्नि सोराम खाती की मृत्यु हो जाने से प्यारी के 1/3 हिस्से की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/6–1/6 हिस्से से दर्ज हो चुकी है। खातेदार माधु खाती लाऔलाद फोत हो जाने से मृतक माधु का 1/3 हिस्से की भूमि राजीनामा प्रार्थना पत्र अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः एवं

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा